**एल.टी.सी. अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | अधिकारी का नाम  | :  |
| 2. | (अ)  | पदनाम  | : |
|  | (ब)  | स्‍थायी अथवा अस्‍थायी (यदि स्‍थायी नहीं है तो स्‍थायी कार्मिक से जमानती-बंधपत्र इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्‍न किया जाए I)  | : |
| 3. | सम्‍बन्धित कार्यालय का नाम  | : |
| 4. | वर्तमान ग्रेड में मूल वेतन  | : |
| 5. | विभाग में नियुक्ति-तिथि  | : |
| 6. | सेवा-पंजिका में घोषित गृह-निवास का स्‍थान  | :  |
| 7. | पूर्व के ब्‍लॉक वर्षों के दौरान उपभोग की गई एल.टी.सी. का विवरणः  | ब्‍लॉक वर्ष |
|  |  (i) गृह-निवास | : |
|  |  (ii) भारत में कहीं भी | : |
| 8. | ब्‍लॉक वर्ष जिसके लिए लिया जाना प्रस्‍तावित है | : |
| 9. | क्‍या आकस्मिक/अर्जित अवकाश लिया जाना है?(छुट्टी के प्रकार का उल्‍लेख किया जाए)  | : |
| 10. | क्‍या पूर्व में लिया गया एल.टी.सी.अग्रिम का पूर्ण रूप से भुगतान कर लिया गया है अथवा समायोजन बकाया है, पूर्व मामले के भुगतान की तिथि  | : |
| 11. | यात्रा का स्‍थान (दूरतम बिन्‍दु/Farthest Point)  | : |
| 12. | यात्रा शुरू करने की प्रस्‍तावित तिथि  | : |
| 13. | वापसी यात्रा की सम्‍भावित तिथि  | :  |
| 14. | एल.टी.सी. सुविधा का उपयोग करने वाले पारिवारिक सदस्‍यों का विवरणः  |
| **क्र.सं.** | **नाम** | **सम्‍बन्‍ध** | **उम्र** | **क्‍या आश्रित है ?** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15. | रेलवे यात्रा के दौरान ली जाने वाली प्रस्‍तावित यात्रा की श्रेणी  | : |
| 16. | अपेक्षित अग्रिम की राशि  | : |
| 17.  | कार्यालय जिसमें सरकारी सेवक की पत्नि/ के पति कार्यरत है I  | : |
| 18. | यदि पत्नि/पति अपने नियोक्‍ता से एल.टी.सी. अथवा इसके समान रियायत के लिए पात्र है, तो क्‍या इस सम्‍बन्‍ध में घोषणा-पत्र दिया गया है कि वह अपने लिए अथवा अपने परिवार के लिए एल.टी.सी. का दावा अपने कार्यालय से नहीं करेगा/करेगी I  | : |

 **अधिकारी/कर्मचारी के हस्‍ताक्षर**

**घोषणाऍं**

मैं, ..................................... एतद्द्वारा प्रमाणित करता हॅूं कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्‍त सूचनाऍं सत्‍य एवं सही है I

मैं प्रस्‍तावित यात्रा, जिसके लिए अग्रिम लिया गया है, नहीं की जाने की स्थिति में पूरा एल.टी.सी. अग्रिम लौटाने का वचन भी देता हॅूं I

मैं यह भी घोषणा करता हॅूं कि अनुमोदित स्‍थलों के अलावा सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना अन्‍य स्‍थानों की यात्रा नहीं करूंगा I

मैं अग्रिम लेने की तिथि से 90 दिनों में वापसी यात्रा न किए जाने की स्थिति में अग्रिम का आधा हिस्‍सा लौटाने के लिए भी सहमत हॅूं I

किसी भी कारण से मेरे पास शेष बची अग्रिम की राशि को कार्यालय में अविलम्‍ब जमा करवाने के लिए मैं सहमत हॅूं I

मैं अग्रिम लेने के 10 दिनों के भीतर अथवा यात्रा शुरू करने से पूर्व, जो भी पहले हो, मेरे स्‍वयं तथा परिवार के लिए टिकिट की खरीद का प्रमाण प्रस्‍तुत करने के लिए सहमत हॅूं I मुझे ज्ञात है कि उक्‍त जरूरत को पूरा करने में विफल रहने पर उक्‍त अग्रिम की एकमुश्‍त वसूली मेरे अगले वेतन से सामान्‍य दर से 2.5% गुणा ज्‍यादा ब्‍याज सहित की जाएगी I

मुझे ज्ञात है कि यदि मैं वापसी यात्रा की तिथि से एक माह के भीतर एल.टी.सी. बिलों को प्रस्‍तुत नहीं करता हॅूं तो बकाया एल.टी.सी. अग्रिम की एकमुश्‍त वसूली मेरे अगले वेतन से सामान्‍य दर से 2.5% गुणा ज्‍यादा ब्‍याज सहित की जाएगी I

 मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि मैं यात्रा समाप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर बिल प्रस्‍तुत नहीं कर पाता हॅूं तो मेरा दावा जब्‍त किया जाएगा I

मैं यह भी समझता हॅूं कि यदि एल.टी.सी. स्‍वयं के लिए ली गई है तो उसका खर्च तभी प्रतिपूर्ति योग्‍य है, जब यात्रा किसी प्रकार की छुट्टी लेकर की गई है, न की केवल सप्‍ताहांत अवकाश/अन्‍य अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश लेकर I

|  |  |
| --- | --- |
| हस्‍ताक्षर : |  |
| नाम : |  |
| पदनाम : |  |

**अनुभाग अधिकारी की टिप्‍पणी**

एल.टी.सी. अग्रिम प्रार्थना-पत्र अग्रेषित किया गया I अधिकारी/कर्मचारी ने कॉलम संख्‍या 9 के अनुसार आकस्मिक/अर्जित अवकाश के लिए आवेदन किया है तथा जिसे स्‍वीकृत कर दिया गया है I

 **अनुभाग अधिकारी**